सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2013/00124

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प अटल सेवा केन्द्र रजौराखुर्द)
प्रकरण संख्या : 10/2013

बमुक0 सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

बनाम

श्री ठाकुरदास पुत्र होरीलाल, केशर पत्नी गुलाबसिह, प्रदीप, रनवीर नावालिंग पुत्रांन गुलाबसिह, सुजाता, नावा0 पुत्री गुलावसिह सरपरस्ती माता खुद केशर कौम लोधा निवासी बहरावती, पंजाब नेशनल बैंक शाखा मनियां तहसील सैपऊ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट

25.05.2018 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र रजौरा खुर्द पर पेश हुई । पत्रावली का अवलोकन किया । तहसीलदार सैपऊ द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर **851 रकवा 1 वीघा 05 विश्वा, 852 रकवा 1 वीघा 07 विश्वा वाके ग्राम बहरावती** तहसील सैपऊ अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जिसमें उन्हौने बिना भूमि रूपान्तरण कराये मोबाईल टावर स्थापित कर दिया है। कृषि भूमि को उन्हे मोबाईल टावर स्थापित करने का कोई वैद्यानिक अधिकार नही है। तहसीलदार द्वारा खातेदारी अधिकार समाप्त कर मोबाईल टावर के उपयोग में ली गई भूमि को राज्य सरकार (सिवायचक) दर्ज कराये जाने हेतु निवेदन किया है।

बिना रूपान्तरण कराये स्थापित मोबाईल टावरों के संम्बध में **Department of Urban Devlopment and Housing Govt. of Rajsthan** ने आदेश क्रमांक **f .10(147)UDH/3/2008 part kkk Date 6 feb.2017** जारी कर निर्धारित फीस प्राप्त कर बिना रूपान्तरण कराये स्थापित मोबाईल टावरों को नियमित करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसकी कार्यवाही पृथक से की जानी है। इसलिये अब इस प्रकरण को लंम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नही है अतः कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो।